

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

यदि कोई दुकानदार कूलिंग चार्ज के नाम पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूल रहा है तो यहां शिकायत दर्ज कराएं।

Publisher

Published on 05 May 2025



कई दुकानदार अधिकतम मुद्रित मूल्य यानी एमआरपी से अधिक कीमत वसूलते हैं।

मुंबई समेत राज्य के कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। बढ़ती गर्मी के साथ-साथ ठंडे पेय पदार्थों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसा लगता है कि न केवल शीतल पेय बल्कि ठंडे पानी की बोतलों की खपत भी बढ़ गई है। हालांकि, कई दुकानदार वास्तविक एमआरपी यानी अधिकतम विक्रय मूल्य के अलावा प्रत्येक उत्पाद पर कुछ रुपये अधिक वसूलते हैं। इस बारे में पूछे जाने पर विक्रेता प्रायः दावा करते हैं कि ये कूलिंग शुल्क हैं। हालांकि, इस तरह से अतिरिक्त पैसे वसूलना कानूनन अपराध है।

कूलिंग चार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसा

कई विक्रेता नियमों की अनदेखी करते हैं और नियमित रूप से कूलिंग शुल्क के नाम पर पैसे वसूलते हैं। कूलिंग चार्ज के नाम पर अधिक पैसे वसूलने की कई शिकायतें प्रतिदिन सामने आती हैं। हालांकि, अधिकांश उपभोक्ताओं को यह पता नहीं होता कि ऐसी शिकायतें कहाँ दर्ज करें। यदि कोई विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य वसूलता है या मांगता है तो उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। नियमों के अनुसार, केवल होटलों को ही शीतल पेय और ठंडे पानी की बोतलों के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति है। यह सुविधा इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि ग्राहकों को न केवल पेय या पानी, बल्कि अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। हालांकि, इन दिनों जनरल स्टोर्स और किराना स्टोर्स जो केवल पानी या शीतल पेय बेचते हैं, वे भी इसी बहाने से कूलिंग चार्ज के नाम पर अतिरिक्त पैसे वसूल रहे हैं। ऐसा करना उपभोक्ता धोखाधड़ी है और उपभोक्ताओं को इसके विरुद्ध निवारण मांगने का अधिकार है।

क्या कहते हैं उपभोक्ता पंचायत के अध्यक्ष ?

शीतल पेय और ठंडे पानी की बोतलें एमआरपी मूल्य पर बेचना अनिवार्य है। इसलिए ऐसे मामलों में ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लिया

जाना गलत है। ग्राहकों को धोखा देना और कूलिंग चार्ज के नाम पर उनसे अतिरिक्त पैसे वसूलना गलत है। मुंबई उपभोक्ता पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष एडवोकेट शिरीष देशपांडे ने कहा है कि विक्रेताओं को शीतल पेय के लिए अतिरिक्त पैसे मांगने का अधिकार नहीं है। देशपांडे ने यह भी कहा कि उपभोक्ता ऐसे अतिरिक्त शुल्क के खिलाफ जिला उपभोक्ता शिकायत फोरम में शिकायत कर सकते हैं।

मुंबई उपभोक्ता पंचायत संपर्क नंबर और ईमेल आईडी

फ़ोन नंबर

यदि आपको उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत है, तो इस नंबर पर कॉल करें – 022 47508544

यदि आपके पास खाते से संबंधित कोई शिकायत है, तो इस नंबर पर कॉल करें – 022 47508543, 8828311107

यदि आपको रिफंड और रिकवरी से संबंधित कोई शिकायत है तो इस नंबर पर कॉल करें – 8828311109

यदि आपको वेबसाइट और सदस्यता के बारे में कोई शिकायत है, तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें – 8369887939

ईमेल आईडी

यदि आपको उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत है, तो ईमेल आईडी – mgpvitaran@yahoo.co.in

यदि आपके खाते से संबंधित कोई शिकायत है, तो ईमेल आईडी- mgpvitaran2020@gmail.com पर संपर्क करें

यदि आपको रिफंड और रिकवरी के संबंध में कोई शिकायत है, तो ईमेल आईडी- mgpvitaranrr@gmail.com पर संपर्क करें

यदि किसी सदस्य के संबंध में कोई शिकायत हो तो ईमेल आईडी है membervitaran@gmail.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.